न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 221/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कोजाराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी अटबड़ा तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. **श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा, श्री तरूण मेवाड़ा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला–पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक — 15/09/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव अटबड़ा पटवार हल्का अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

सम्पति ''ए'' वर्तमान खाता नंबर — 760 पुराना खाता नंबर — 760 खसरा नंबर 1619, 1660 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8800 हैक्टर जिसमें प्रार्थी का 1/15 हक हिस्सा इसी प्रकार सम्पति ''बी'' वर्तमान खाता नंबर — 1276 पुराना खाता नंबर — 1276 खसरा नंबर 1017 रकबा 1.4200 हैक्टर जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा निहित हैं। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस कृषि भुमि का उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर घनश्यामलाल दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी बाहर निवासरत होने से राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में उक्त संशोधन हेतु पूर्व में कार्यवाही नहीं कर सका। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम कोजाराम है। इसलिये राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज घनश्यामलाल दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम कोजाराम ही है तथा प्रार्थी को गांव, परिवार, समाज में कोजाराम के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं आधार कार्ड, राशन कार्ड के साथ व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम कोजाराम ही दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम कोजाराम ही है अर्थात् वादग्रस्थ कृषि भूमि में घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल एवं कोजाराम पुत्र मोहनलाल एक ही है जिन दोनो नामो का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है। उक्त वादग्रस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मोहनलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी कोजाराम पुत्र मोहनलाल का नाम पेन ऑफ स्लीप एवं स्वाभाविक त्रुटिवश बिना दस्तावेज का अवलोकन किये घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल दर्ज कर दिया। जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल के स्थान पर कोजाराम पुत्र मोहनलाल दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भुमि ए, बी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल के स्थान पर कोजाराम पुत्र मोहनलाल के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा अटबड़ा में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 03 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 04, 05 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी द्वारा वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी ग्राम अटबड़ा के खाता सं0 1276, 760 में दर्ज घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेगवंशी के बारे में तस्दीक करने पर मौतबिरानों ने बताया कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कोजाराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल हैं। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों यथा आधार कार्ड 345076528013, राशन कार्ड में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कोजाराम पुत्र मोहनलाल है तथा ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर जमाबंदी में दर्ज घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल और कोजाराम पुत्र मोहनलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न नाम हैं। उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि वाद में विचाराधीन वादग्रस्त भूमि पर हक व हिस्सा अनुसार प्रार्थी कोजाराम पुत्र मोहनलाल का ही कब्जा काश्त हैं। जो बिना किसी वाद विवाद के काश्त करता आ रहा हैं।, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल के स्थान पर कोजाराम पुत्र मोहनलाल के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड इत्यादि का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल और कोजाराम पुत्र मोहनलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न नाम हैं तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी कोजाराम पुत्र मोहनलाल का ही कब्जा काश्त हैं। प्रार्थी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड 345076528013, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सह खातेदार भोलाराम, शान्तिदेवी के शपथ पत्र इत्यादि से प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कोजाराम पुत्र मोहनलाल होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल के स्थान पर कोजाराम पुत्र मोहनलाल के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ए, बी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम घनश्यामलाल पुत्र मोहनलाल के स्थान पर कोजाराम पुत्र मोहनलाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 15/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत